ए.एफ.आर.

2009:CGHC:10493-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील संख्या 848/2003

सदन राम सोरी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु आदेश

सही /-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता

सही /-

मुख्य न्यायाधीश

आदेश हेतु सूचीबद्ध किया गया 04/05/2009

सही /-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

कोरम : <u>माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता</u>

<u>माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा</u>

<u>दाण्डिक अपील संख्या 848/2003</u>

सदन राम सोरी, आत्मज अनंत पाल सोरी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी लट्टीपारा, कांकेर, जिला कांकेर (छ.ग.)

..... अपीलार्थी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना कांकेर , जिला कांकेर

..... प्रत्यर्थी

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपील

अपीलार्थी के लिए: सुश्री मीनू बैनर्जी, अधिवक्ता ।

राज्य ले लिए: श्री प्रवीण दास, उप-शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

04/05/2009

श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया

1. अपीलार्थी सदन राम सोरी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कांकेर (छ.ग.) द्वारा धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया, जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

2. आरोप यह है कि उसने अपनी पत्नी परमाबाई पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

दिनांक 13.11.2002 को प्रदीप भट्ट (अ.सा.-4) ने सड़क पर एक महिला को पानी के लिए रोते हुए देखा। महिला को जलने के घाव मिले हैं। जब उन्होंने पूछा कि उसे चोटें कैसे आईं, तो महिला ने जवाब दिया कि "किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के कारण उसके पति ने उसके साथ मारपीट की तथा उसके शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी; वह अस्पताल जाने के लिए उस स्थान आई है" (अ.सा.-4), प्रदीप भट्ट, पुलिस थाने गया एवं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई (प्रदर्श पी/4)। पुलिस मौके पर पहुंची घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्लास्टिक की बोतलों जैसी कई वस्तुएं जब्त कीं। आधे जले हुए कपड़े, माचिस की तीली के टुकड़े, सादी मिट्टी और मिट्टी के तेल से सने मिट्टी, आदि घटनास्थल से अर्थात वह कमरा जहाँ घटना घटित हुई। महिला के कपड़े भी, के.डी. अस्पताल, कांकेर से जब्त किया गया। महिला की जांच डॉ. विजय शुक्ला (अ.सा-13) द्वारा की गई। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/13) दी। उन्होंने देखा वह 90% तक जल चुकी है। उसके शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, वह सचेत अवस्था में थी। चेहरे, गर्दन, छाती, पीठ और अंगों पर जलने की चोटें आईं थी। चोटें ताज़ा और गंभीर प्रकृति की थीं

आगे की जांच में, पुलिस अधिकारी द्वारा इस गवाह (अ.सा.-13) से लिखित अनुरोध पर, उन्होंने 13.11.2002 को उसका मृत्युकालिक कथन दर्ज किया, जिसमें उसने कथन दिया था कि उसे उसके पति ने जला दिया था।

महिला का नाम परमाबाई था, जिनकी मृत्यु 16.11.2002 को शाम लगभग 4.25 बजे अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। पंचों को सूचना (प्रदर्श पी/1) देने के बाद, मृतका के शव की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाँच (प्रदर्श पी/2) 17.11.2002 को तैयार की गई और (प्रदर्श पी/15) के तहत शव-परीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया। शव-परीक्षण डॉ. प्रदीप क्लाडियास (अ.सा-14) ने किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/15-ए) तैयार की और अभिमत दी कि मृत्यु का कारण 90% जलने की चोटें थीं, यह आत्मघाती या हत्या की प्रकृति की हो सकती है।

4. सामान्य जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांकेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां से, यह तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कांकेर द्वारा स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने परीक्षण किया और आरोपी/अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

5. अपीलार्थी की दोषसिद्धि मृतक के मृत्युकालिक कथन पर आधारित है।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीनू बनर्जी ने तर्क दिया कि डॉक्टर द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था। मृत्युकालिक कथन संदिग्ध है क्योंकि इसमें कथनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है। इस प्रकार की जलने की चोटों के बाद, मृतक उपरोक्त जैसा मृत्युकालिक कथन देने की स्थिति में नहीं हो सकता है। उन्होंने इन आधारों पर मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास करने का पुरजोर तर्क दिया और इसे पूरी तरह से अविश्वसनीय बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण दास ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

9. जहां तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किए गए मृत्युकालिक कथन का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेंद्र एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी, 759** के प्रकरण में माना था कि ऐसा कोई विधि नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि मृत्युकालिक कथन केवल मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। निस्संदेह मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन को अधिक पवित्रता दी जाती है क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा

मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से न्यायालय को यह आश्वासन मिलता है कि कथन को एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा सही ढंग से समझा और सत्यतापूर्वक दर्ज किया गया है। यह उस संदर्भ में कहा गया था जब मृत्युकालिक कथन सरकारी विभाग के एक वरिष्ठ क्लर्क द्वारा दर्ज किया गया था, जो तहसीलदार द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए अधिकृत था।

10. **बलबीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीसी, 283** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इस आधार पर कि मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालिक कथन दर्ज नहीं किया गया था, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला खारिज नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। हालाँकि, जहाँ कथन पूरी तरह से असंगत हो या विरोधाभासी कथन दिए गए हों या अभिलेखों से ऐसा प्रतीत हो कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं है, वहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन सामान्यतः इस पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब हम डॉक्टर द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन की सत्यता की जाँच करेंगे। डॉ. विजय शुक्ला (अ.सा.-13) ने बयान दिया कि 13.11.2002 को उन्हें मृतका के चिकित्सीय परीक्षण हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। मृतका होश में थी, उसकी शारीरिक स्थिति सामान्य और नाड़ी 96 प्रति मिनट थी, उसका रक्तचाप 100/60 MM (पारा) था। उसके चेहरे, गर्दन, छाती, पीठ और दोनों अंगों पर जलने के घाव थे। वह 90% जल चुकी थी। उसके कपड़ों से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। जलने के निशान ताज़ा थे। उसी दिन, उन्हें मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी से एक लिखित अनुरोध भी मिला। उन्होंने उसका कथन दर्ज किया (प्रदर्श पी/14) । मृत्युकालिक कथन की अंतर्वस्तु से पता चलता है कि यह रात 10 बजे दर्ज किया गया था। मृत्युकालिक कथन प्रश्न-उत्तर के रूप में है। प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में, मृतका ने स्पष्ट कथन दिया कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने यह सुझाव स्वीकार किया कि मृतका अपने इलाज के दौरान होश में थी। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि सबसे पहले मृतका का इलाज उनके द्वारा किया गया था और उसके बाद मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था और जब वह इसे दर्ज कर रहे थे, मृतक के रिश्तेदार और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतका के शरीर पर हिंसा के कोई निशान नहीं थे। इस साक्षी से पूरी प्रतिपरीक्षा में, बचाव पक्ष ने यह सवाल नहीं उठाया कि मृत्युकालिक कथन पर मृतक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान क्यों नहीं लिया गया। इस न्यायालय के समक्ष

पहली बार यह तर्क दिया गया है। वास्तव में, ऐसा प्रश्न डॉक्टर द्वारा पूछा जाना चाहिए था, जिसने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, ताकि कुछ स्पष्टीकरण मिल सके।

12. **श्रीनिवास एवं अन्य बनाम राज्य द्वारा संतेबेन्नूर पुलिस (2005) 9 एससीसी, 327**, के प्रकरण में पहला मृत्युकालिक कथन उस दिन दर्ज किया गया था जिस दिन मृतका को जलने की चोटें आईं थीं और उसमें मृतका के हस्ताक्षर थे। हालांकि, अगले दिन दर्ज किए गए दूसरे मृत्युकालिक कथन में मृतका के हस्ताक्षर नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरा मृत्युकालिक कथन मृतका को जलने की चोटें लगने के अगले दिन दर्ज किया गया था, इसलिए कहा गया है कि चोटें बढ़ गई होंगी और वह उस पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं रही होगी। इसलिए दूसरा मृत्युकालिक कथन दोषपूर्ण नहीं था। हालांकि वर्तमान प्रकरण एक से अधिक मृत्युकालिक कथनों का प्रकरण नहीं है, जिनमें से केवल एक पर ही हस्ताक्षर हैं, लेकिन तथ्य यह है कि मृतका के अंगों पर लगी चोटों के कारण मृत्युकालिक कथन पर हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। डॉक्टर ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में मृतका के अंगों पर जलने की चोटों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, जो उसके मृत्युकालिक कथन पर मृतका के हस्ताक्षर न लेने का एक कारण प्रतीत होता है। यदि यह प्रश्न डॉक्टर से पूछा गया होता, तो निश्चित रूप से, वह इसका स्पष्टीकरण देने की स्थिति में होता और तभी इस संबंध में दिए गए तर्कों पर विचार किया जाता। इसलिए, हमें सुश्री बनर्जी के इस तर्क में कोई बल नहीं लगता कि मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि उस पर मृतका के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है या इसे डॉक्टर ने दर्ज किया था, न कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अब हम इस बात की जाँच करेंगे कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालिक कथन क्यों दर्ज नहीं किया गया। उपनिरीक्षक सी. तिग्गा (अ.सा.-16) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए डॉक्टर (प्रदर्श पी/14-ए) को मांग-पत्र दिया था। अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका-13 में, उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2-3 दिनों तक उपलब्ध नहीं थे, हालाँकि उन्होंने 2 बार मांग-पत्र भेजा था। मृतका भी 2-3 दिनों तक जीवित थी। इसका उत्तर इस संदर्भ में दिया गया कि मृत्युकालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा क्यों दर्ज नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए डॉक्टर से मृत्युकालिक कथन दर्ज करने का अनुरोध किया गया था और उनके द्वारा इसे दर्ज किया गया था। यदि डॉक्टर का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं लगता है, तो उनके द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ डॉक्टर अभिसाक्ष्य क्यों देंगे? उनकी ओर से रुचि दिखाने के लिए अभिलेख पर

कुछ भी नहीं लाया गया है। वास्तव में, डॉक्टर की परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं दिया गया है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय में, डॉक्टर द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है और मृतक के ऐसे मृत्युकालिक कथन पर आधारित दोषसिद्धि कायम रहने योग्य है।

14. उपरोक्त कारणों से, हमें सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखती है।

15. तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- सही /-

(मुख्य न्यायाधिपति) **(श्री सुनील कुमार सिन्हा)**

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Rakesh Kumar Kashyap

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur